



प्रेषक,

सुबास राम,
सयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०),
लो०नि०वि०, लखनऊ उ०प्र०।

लोक निर्माण अनुभाग:-5

लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2026

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्ष 4059-80-051-29-00-24 "दिव्यांगजनों के आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)" के अन्तर्गत जनपद हरदोई, इटावा, सोनभद्र, बुलन्दशहर, जौनपुर, देवरिया, अमेठी, आजमगढ़, मेरठ, कौशाम्बी, हरदोई, चन्दौली, उरई एवं बलिया के 33 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्ष 4059-80-051-29-00-24 "दिव्यांगजनों के आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)" के अन्तर्गत जनपद हरदोई, इटावा, सोनभद्र, बुलन्दशहर, जौनपुर, देवरिया, अमेठी, आजमगढ़, मेरठ, कौशाम्बी, हरदोई, चन्दौली, उरई एवं बलिया के 33 कार्यों हेतु आगणन लागत रु० 279.39 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष रु० 217.10 लाख (रु० दो करोड़ सत्रह लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रु० लाख में)

क्र० सं०	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो०नि०वि० का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	534जी/9(दिव्यांगजन) बी०पी०-विंग/2026, दिनांक-16.08.2026	हरदोई	निरीक्षण भवन, पिहानी में दिव्यांगजनों हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	05.22	04.00
2	तदैव	हरदोई	निरीक्षण भवन, हरदोई में पिक शौचालय का निर्माण कार्य।	11.33	09.00
3	तदैव	हरदोई	कार्यालय परिसर, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई में पिक शौचालय का निर्माण कार्य।	11.33	09.00
4	तदैव	हरदोई	कार्यालय परिसर, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०, हरदोई में	05.22	04.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			दिव्यांगजनों हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।		
5	तदैव	हरदोई	निरीक्षण भवन, हरदोई में दिव्यांगजनों हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	05.22	04.00
6	तदैव	हरदोई	निरीक्षण भवन, सण्डीला में दिव्यांगजनों हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	05.22	04.00
7	तदैव	इटावा	निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, इटावा के कार्यालय में दिव्यांगजनों हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	04.04	03.00
8	तदैव	सोनभद्र	कार्यालय भवन प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र में दिव्यांगजन शौचालय का निर्माण कार्य।	06.95	05.50
9	तदैव	बुलन्दशहर	निरीक्षण भवन, बुलन्दशहर में दिव्यांगजन हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	03.49	2.50
10	तदैव	बुलन्दशहर	निरीक्षण भवन, बुलन्दशहर में पिक शौचालय का निर्माण कार्य।	23.67	18.50
11	तदैव	जौनपुर	कार्यालय प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, जौनपुर में दिव्यांगजन हेतु शौचालय निर्माण का कार्य।	07.27	05.50
12	तदैव	बुलन्दशहर	कार्यालय अधीक्षण अभियंता, बुलन्दशहर वृत्त, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर में दिव्यांगजन हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	03.49	2.50
13	तदैव	देवरिया	कार्यालय प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया के परिसर में दिव्यांगजन हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	04.67	03.50
14	तदैव	देवरिया	कार्यालय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया के परिसर में दिव्यांगजन हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	04.67	03.50
15	तदैव	देवरिया	कार्यालय अधीक्षण अभियंता देवरिया वृत्त, लो0नि0वि0 देवरिया के परिसर में	04.67	03.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			दिव्यांगजन हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।		
16	तदैव	अमेठी	जनपद अमेठी में लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर के दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य।	02.55	02.00
17	तदैव	आजमगढ़	जनपद आजमगढ़ में कार्यालय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता में दिव्यांगजन एवं महिलाओं हेतु डेडिकेटेड टायलेट का निर्माण कार्य।	13.58	10.50
18	तदैव	मेरठ	जनपद मेरठ के दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य।	18.38	14.50
19	तदैव	अमेठी	जनपद अमेठी में निरीक्षण भवन, अमेठी में दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य।	02.55	02.00
20	तदैव	कौशाम्बी	जनपद कौशाम्बी निरीक्षण भवन मूरतगंज में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प एवं शौचालय का निर्माण।	06.90	05.50
21	तदैव	कौशाम्बी	जनपद कौशाम्बी निरीक्षण भवन मंझनपुर में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प एवं शौचालय का निर्माण।	06.90	05.50
22	तदैव	बुलन्दशहर	कार्यालय अधीक्षण अभियंता, बुलन्दशहर वृत्त, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर में पिंक शौचालय का निर्माण कार्य।	23.67	18.50
23	तदैव	बुलन्दशहर	कार्यालय प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर में पिंक शौचालय का निर्माण कार्य।	23.67	18.50
24	तदैव	बुलन्दशहर	निरीक्षण भवन, अनूपशहर में दिव्यांगजन हेतु शौचालय का निर्माण कार्य।	03.49	02.50
25	तदैव	बुलन्दशहर	निरीक्षण भवन, अनूपशहर में पिंक शौचालय का निर्माण कार्य।	23.67	18.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

26	541जी/9(दिव्यांगजन) बी0पी0-विंग/2026, दिनांक-18.08.2026	हरदोई	दिव्यांगजनों के आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर(निर्माण खण्ड-1) हरदोई में दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ शौचालय के निर्माण कार्य।	02.51	02.00
27	तदैव	हरदोई	दिव्यांगजनों के आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन सवायजपुर में दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ शौचालय के निर्माण कार्य।	02.51	02.00
28	तदैव	हरदोई	दिव्यांगजनों के आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन शाहाबाद में दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ शौचालय के निर्माण कार्य।	02.51	02.00
29	तदैव	चन्दौली	कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चन्दौली के परिसर के अन्तर्गत 04 नग शौचालय का निर्माण कार्य।	18.57	14.50
30	तदैव	उरई	जनपद उरई में कार्यालय प्रांगण में दिव्यांगजनों हेतु शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्य।	05.89	04.50
31	565जी/9(दिव्यांगजन) बी0पी0-विंग/2026, दिनांक-19.08.2026	चन्दौली	कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, चन्दौली के परिसर के अन्तर्गत रैम्प तथा 2 नग शौचालय का निर्माण कार्य।	04.82	03.50
32	तदैव	बलिया	निरीक्षण भवन बलिया में दिव्यांगजनों के शौचालय का निर्माण कार्य।	05.38	04.30
33	तदैव	तदैव	निरीक्षण भवन कोरण्टाडीह बलिया में दिव्यांगजनों के शौचालय का निर्माण कार्य।	05.38	04.30
योग:-				279.39	217.10

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- 1- प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।
- 2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।
- 4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपॉजिट खाने अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- 7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- 9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- 10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।
- 12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 13- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- 14- विद्युत/यांत्रिक कार्य हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 15- विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर प्राप्त किया जायेगा।
- 16- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
- 17- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि विभागीय व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- 18- लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 19- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।
- 20- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- 21- लोक निर्माण विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
- 22- प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आबंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।
- 23- लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 24- लोक निर्माण विभाग द्वारा सेन्टेज चार्ज(प्रतिशत प्रभार) निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,17,10,000 (रु० दो करोड़ सत्रह लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026/2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्ष 4059800512900" दिव्यांगजनों के आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)" मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:-153/2026/आई-1465271/001-534आ0(1)/23-5-2026-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
- 4- सम्बंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
- 10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
- 13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आज्ञा से,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।